



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264421
CG-DL-E-05072025-264421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]
No. 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025/आषाढ़ 13, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025/ASHADHA 13, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन)
विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.128 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 36 में,

(i) उप-विनियम (1) में, "दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पचानवें दिन को या उससे पूर्व" शब्दों के पश्चात् "और उसके पश्चात्पूर्ति अद्यतन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(जक) संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन, समस्त अभिलक्षित परिवर्जनीय संव्यवहारों या अध्याय 6 के अधीन कपटपूर्ण या दोषपूर्ण व्यापार और विनियम 35क के उप-विनियम (3क) के अधीन यथा-निर्दिष्ट न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष पश्चात्पूर्ति फाइलिंग के ब्यौरे।"

3. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) किसी समाधान योजना में, संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन किन्हीं ऐसे परिवर्जनीय संव्यवहारों या अध्याय 6 के अधीन किन्हीं ऐसे कपटपूर्ण और दोषपूर्ण व्यापार के असाइनमेंट के लिए कोई उपबंध नहीं होगा जिन्हें,

(क) सूचना ज्ञापन में प्रकट नहीं किया गया था; और

(ख) विनियम 35क के उप-विनियम (3क) के अधीन समस्त भावी समाधान आवेदकों को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व सूचित नहीं किया गया था:

परन्तु यह उप-विनियम ऐसी किसी समाधान योजना को लागू नहीं होगा जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2025 के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की गई है।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./211/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 390, तारीख 26 मई, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.127, तारीख 26 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG128.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 36,

(i) in sub-regulation (1), after the words “insolvency commencement date”, the words and mark “, and its subsequent updates thereof”, shall be inserted.

(ii) in sub-regulation (2), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ha) details of all identified avoidance transactions, if any, under Chapter III or fraudulent or wrongful trading under Chapter VI of Part II of the Code and subsequent filings before Adjudicating Authority, as referred under sub-regulation (3A) of regulation 35A;”

3. In the principal regulations, in regulation 38, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(2A) A resolution plan shall not provide for assignment of any avoidance transactions under Chapter III or fraudulent or wrongful trading under Chapter VI of Part II of the Code that were not:

(a) disclosed in the information memorandum; and

(b) intimated to all prospective resolution applicants under sub-regulation (3A) of regulation 35A before the last date for submission of resolution plans:

Provided that this sub-regulation shall not apply to any resolution plan that has been submitted to the Adjudicating Authority under sub-section (6) of section 30 on or before the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./211/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG127, dated the 26th May, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 390 on 26th May, 2025.